	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/8/25 को पेश हो ह०	
125	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/10/25 को पेश हो ह०	
125	पक्षकार उप०। बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दि. 19/11/2025 को पेश हो। ह०	
25	पक्षकार उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 27/11/25 को पेश हो। ह०	
125	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। मूल रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ख.सं. 1098/243 रकबा 2.4281 हैक्ट0 वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेडा जो कि द्वारका पुत्र रामकिशन के खातेदारी अधिकार में दर्ज रिकॉर्ड है, पर अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पूर्व मे जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी प्रार्थी की वाद वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी ने फसल बोने के लिए हांक जोतने के लिए खेत पर गया तो अप्रार्थी दिनांक 01.07.2021 को वादी के खेत पर आये और कब्जा करने की धमकी दी कि खेत में फसल बोयेगे और सामने आया तो ट्रेक्टर से कुचल कर मार देगे। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खाते की आराजी के शान्तिपूर्ण कब्जो कास्त में किसी प्रकार से मदाखलत एवं मजाहमत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण को कब्जा करने से मना किया और पुलिस में कार्यवाही करने की कहने पर अप्रार्थीगण बडी मुश्किल से खेत से गये। अप्रार्थीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादी के अधिकारों पर कुठाराघात ह०	

प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	होगा एवं काफी आर्थिक क्षति भी होगी। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा दे। अप्रार्थी सं. 1 ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी रामदत्त ने वाद वर्णित आराजी ख.सं. 1098/243 रकबा 2.4281 हैक्ट0 वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर आराजी पर काबिज कास्त नहीं है। बल्की प्रार्थी ने उक्त भूमि को जरिये रहन नामा दिनांक 08.04.2015 को 12 लाख रूपये में रहन राशि प्राप्त कर 100/रू0 के नोन ज्युडीसीयल स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को अप्रार्थी रामदत्त के रहन रख दिया था एवं कब्जा अप्रार्थी को सौंप दिया था तब से अप्रार्थी वाद वर्णित आराजी पर काबिज कास्त है। स्वंय प्रार्थी ने जरिये रहन नामा अप्रार्थी रामदत्त के पक्ष में स्टाम्प पर दिनांक 08.04.2015 को रूबरू गवाहान भूमि पर सौंपा था एवं नोटेरी पब्लिक श्री चन्द्र शेखर शर्मा के रजिस्टर कमांक 1046 दिनांक 08.04.2015 से उक्त रहन नामा तस्दीक किया था। उक्त रहन नामा के चरण सं. 3 में प्रार्थी द्वारा यह सहमति दी थी कि यदि प्रथम कौल अवधि पर द्वितीयपक्ष को उक्त रहन राशि अदा नही कर पाये तो कृषि भूमि द्वितीयपक्ष के रहन चलती रहेगी। जिससे पक्षकार सहमत थे। प्रार्थी के मन में बदनियति आ जाने से वह रहन की राशि अदा नही कर वाद दायर कर भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं। कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नही है खारिज योग्य है। प्रार्थी यदि रहन की राशि अदा कर देता है तो, अप्रार्थी को वादी की भूमि से कब्जा छोडने में कोई आपत्ति नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा 26.03.2022 को तहसील में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रार्थी का कब्जा होना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रामदत्त को रहन नामा द्वारा भूमि का कब्जा संभलाया है जिसे प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को उक्त रहन नामा अवैध एवं शून्य घोषित करने हेतु माननीय सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिऐ थी। मैं न्यायालय का ध्यान इस ओर प्रेषित करना चाहता हूं कि माननीय जिला न्यायाधीश बून्दी द्वारा निगरानी सं. 23/2022 में दिनांक 11.07.2023 को धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही में प्रार्थी रामदत्त की निगरानी स्वीकार कर 145 सीआरपीसी की कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 04.04.2022 को अपास्त कर दिया तत्समय न्यायालय ने उक्त भूमि पर रहन नामा से रामदत्त का कब्जा माना था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभय पक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य मूल रूप से विवाद प्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी जरिये रहन नामा अप्रार्थी को कब्जा संभलाये जाने से उत्पन्न हुआ है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रहन नामा की शर्त अनुरूप राशि लोटाने पर कब्जा संभलाने बाबत ...

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जेरकार है। अप्रार्थी द्वारा भी वाद वर्णित आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि समान पक्षकार, समान भूमि, समान अनुतोष होने से पूर्ववर्ती वाद के साथ समेकित है, वाद वर्णित आराजी के संबंध में पक्षकारों के मध्य पूर्व में विवाद हो जाने से एक अतिरिक्त प्रकरण 145 सीआरपीसी में दर्ज हुआ जो कि खारिज होकर निस्तारित हो चुका है। चुंकि वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो पक्षों द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत किये है, जो कि समेकित जेरकार है। जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर निर्धारण होना है। जिनका निस्तारण होने में समय लगने की संभावना है। तब तक पक्षकारों के मध्य शान्ति एवं कानूनी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुऐ पक्षकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर समस्त पक्षकारान को ताफेसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.सं. 1098/243 रकबा 2.4281 हैक्ट0 वाके ग्राम लाडपुर पटवार हल्का लाडपुर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय समेकित प्रार्थना पत्र 73/2021 बउनवान रामदत्त बनाम द्वारका लाल पर भी प्रभावी रहेगा।